संख्या-22/2026/I/1517882/2026/001-42-01099-312-2025

प्रेषक,

कुमार विनीत,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक-06-11-2026

विषयः- जनपद देवरिया के स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रशासनिक भवन का जीर्णोद्धार एवं बाउण्ड्रीवाल का नव निर्माण, ताइक्वांडो एवं जिम हाल के निर्माण तथा दर्शकदीर्घा का निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-I/850741/2026, दिनांक 27.10.2026 एवं शासनादेश संख्या- 2026/001-2864-42-2025, दिनांक 06.02.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देवरिया के स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रशासनिक भवन का जीर्णोद्धार एवं बाउण्ड्रीवाल का नव निर्माण, ताइक्वांडो एवं जिम हाल के निर्माण तथा दर्शकदीर्घा का निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0एस0) द्वारा प्रस्तुत आगणन रू0 748.44 लाख का मूल्यांकन (अपेजल) एवं औचित्य का परीक्षण करते हुए पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 722.74 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 2,16,82,000/-निर्गत की गयी है। तदुपरान्त निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के विवरण के अनुसार योजना की लागत रू0 722.36 लाख निर्धारित की गयी, उक्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के विवरण के अनुसार निर्धारित लागत रू0 722.36 लाख के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को रू0 772.36-216.82 = 505.54 लाख की धनराशि दिया जाना शेष है। अतः जनपद देवरिया के स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रशासनिक भवन का जीर्णोद्धार एवं बाउण्ड्रीवाल का नव निर्माण, ताइक्वांडो एवं जिम हाल के निर्माण तथा दर्शकदीर्घा का निर्माण हेतु टेण्डर कॉस्ट के अनुसार निर्धारित पुनरीक्षित लागत रू0 772.36 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-03- खेलकूद तथा युवा सेवा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

-800- अन्य- 11- प्रदेश में खेल अवस्थापनाओं का विकास एवं उन्नयन / निर्माण (चालू कार्य) -24-वृहत निर्माण कार्य '' मद में व्यवस्थित धनराशि रू0 10000.00 लाख में से उक्त परियोजना हेतु अनुमोदित लागत रू0 722.36 लाख के सापेक्ष अवशेष देय सम्पूर्ण धनराशि रू0 5,05,54,000/-(रुपये पाँच करोड़ पाँच लाख चौवन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 5,05,54,000/-(रुपये पाँच करोड़ पाँच लाख चौवन हजार मात्र) निदेशक खेल द्वारा कोषागार से आहरित कर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0एस0) को आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीयवर्ष 2026-27 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2) प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल / ऑडिट का प्रावधान किया गया है। अतः थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट (TPOA) हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के सम्बन्ध में वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश सं०-2/2026/ए-2-आई/ 1172817/2025/दस-2025, दिनांक 02 जनवरी, 2026 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश सं०-5/2021 / फाइल नं०-65-2013/2/2019-2, दिनांक 15 जनवरी 2021 के अनुपालन में दिव्यांगजन हेतु हितैषी / बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in India, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस- 2021- 10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की शासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाये। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि शासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत फर्नीचर हेतु रू0 22.27 लाख धनराशि सम्मिलित की गयी है, निदेशक, खेल द्वारा एक समिति का गठन किया जाये, जिसमें कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हों। इस समिति के द्वारा न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर संस्तुत फर्नीचर का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया किया जाना अपेक्षित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय प्राधिकरण / सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(7) प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट व स्टील, इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक / मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं०-2/2022 /ई-8-202/दस-2022 दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत कतिपय कार्य का निर्माण ध्वस्तीकरण कराये जाने के उपरान्त किया जाना जाना है। अतः ध्वस्तीकरण से सम्बन्धित लोक निर्माण विभाग के शासनादेश सं०-158/2023/993 /3-5-23-50 (40) ईजी०/08, दिनांक 12 सितम्बर, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत सम्मिलित बॉट आउट आइटम्स के मूल्यांकन के सम्बन्ध में वित्त लेखा, अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-9/2022/ए-1-357/दस/2022-10(55)/2000, दिनांक 14 सितम्बर, 2022 के प्रावधानों का पूर्ण रूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत फायर फाइटिंग इत्यादि सम्बन्धी कार्य नेशनल बिल्डिंग कोड /अन्य सम्बन्धित कोड के अनुरूप हैं।

(12) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(13) संदर्भित प्रायोजना का गठन कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ०प्र०, लोक निर्माण विभाग (भवन वर्ग) के पत्रांक-272 कैम्प/मु०अभ० (भवन)/2023 दिनांक 10-10-2023 तथा पत्रांक- 294 कैम्प /मु०अभ० (भवन)/2023 दिनांक 26.10.2023 के द्वारा डी०एस०आर० की दरों में फैक्टर/ कॉस्ट इण्डेक्स एवं कार्यालय प्रमुख अभियंता, उ०प्र० के कार्यालय ज्ञाप सं०-249 कैम्प/मु०अभ० (भवन)/2025, दिनांक 11.07.2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दरों में 03 प्रतिशत की वृद्धि का समावेश करते हुए आगणन का गठन किया गया है। कतिपय ऐसी कार्यमदें उक्त दरों में उपलब्ध नहीं है, उन्हें बाजार दरों /कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(14) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि से 12 माह में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कॉस्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ निदेशक, खेल का होगा।

(16) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।

(17) प्रावधानों को यथावत मानते हुये प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(18) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(19) निदेशक, खेल द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त प्राप्त करते हुए उसका परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(20) वित्त (वित्त-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231-2026, दिनांक 28.03.2026 में निहित व्यवस्थानुसार कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत /व्यय की जायेगी।

(21) प्रगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(22) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था की होगी तथा निदेशक, खेल यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(23) निदेशक, खेल द्वारा समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(25) प्रगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(26) निदेशक, खेल द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(27) कार्यदायी संस्था द्वारा लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(28) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कॉस्ट ओवर रन न हो। इस हेतु शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(29) वित्त (वित्त-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231-2026, दिनांक 28.03.2026 का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(30) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे निदेशक, खेल अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

(31) शासनादेश संख्या- 2026/001-2864-42-2025, दिनांक 06-02-2026 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,05,54,000 (रुपये पाँच करोड़ पाँच लाख चौवन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 022 लेखा शीर्षक 4202038001100 प्रदेश में खेल अवस्थापनाओं का विकास एवं उन्नयन / निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
कुमार विनीत
विशेष सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ०प्र० (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, देवरिया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- क्रीड़ाधिकारी, देवरिया।

6- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० (यू०पी०आर०एन०एस०एस०), लखनऊ।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ०प्र० शासन।

8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ०प्र० शासन।

9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

कुमार विनीत

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।